



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032023-244680
CG-DL-E-25032023-244680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]
No. 192]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/194/2017/डीडी/233/2017/बीओडी/497/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार संस्थान के अनुशासन बोर्ड ने सी.ए. सिद्धार्थ साहनी (सदस्यता संख्या 515503), मकान नंबर 1248, सेक्टर 22-बी, चंडीगढ़ 160022, को उक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन बोर्ड ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् सी.ए. सिद्धार्थ साहनी (सदस्यता संख्या 515503) के नाम को पन्द्रह (15) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया और साथ ही उन पर 1,00,000 रुपये (केवल एक लाख रुपये) का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सी.ए. सिद्धार्थ साहनी (सदस्यता संख्या 515503) का नाम 24 मार्च, 2023 से पन्द्रह (15) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सी.ए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./718/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/194/2017/DD/233/2017/BOD/497/2018.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Sidharth Sahni(Membership No. 515503), House No. 1248, Sector 22-B, CHANDIGARH 160022**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Sidharth Sahni(Membership No. 515503)** from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **CA. Sidharth Sahni(Membership No. 515503)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days with effect from 24th March, 2023.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./718/2022-23]